न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 34/2020/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांक 06.02.2020
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

परमानन्द उर्फ उच्छवलाल आत्मज श्री मोडूलाल जाति माली निवासी ग्राम मण्डावरा तहसील दीगोद जिला कोटा राज.

...अपीलांट

बनाम

लोकेश सुमन आत्मज श्री प्रेमशंकर जी सुमन जाति माली निवासी बरनापाड़ा रेतवाली कोटा जिला कोटा राज.

...रेस्पो0

उपस्थित : श्री तेजमल जैन अभिभाषक –अपीलांट
श्री लोकेश गौतम अभिभाषक –रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 08.01.2025

अपीलार्थीगण ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) प्रकरण संख्या 76/2011 बउनवान लोकेश सुमन बनाम परमानन्द उर्फ उच्छवलाल में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2019 (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 लोकेश सुमन द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार दीगोद द्वारा खोले गये नामा. संख्या 896 दिनांक 25.01.2011 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा के समक्ष भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत कर उक्त निर्णय दिनांक 25.01.2011 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बेन्च जयपुर के स्थगन आदेश दिनांक 29.11.2019 होने से अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तरकरण सं. 896 दिनांक 25.01.2011 निरस्त कर न्यायालय नायब तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया कि वह माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन अपील मे पारित निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही करे।

8/1/2025

2. अपीलांट ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) प्रकरण संख्या 76/2011 बउनवान लोकेश सुमन बनाम परमानन्द उर्फ उच्छवलाल में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2019 से अप्रसन्न होकर भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–76 अन्तर्गत द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2019 विधी, न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण संख्या 896 दिनांक 25.01.2011 को निरस्त करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक व्यक्ति के नाम ही राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रहने की आज्ञा देने में त्रुटि की है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य विद्यमान था कि पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के सम्बन्ध मे नियमित वाद चल रहा है, जो वर्तमान मे माननीय उच्च न्यायालय मे विचाराधीन है तथा उसमे माननीय उच्च न्यायालय ने विवादित भूमि को हस्तान्तरित न करने के लिये स्थगन आदेश जारी कर रखा है। किंतु फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का नाम हटाने की आज्ञा दे दी है, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने माननीय उच्चतम न्यायालय का दृष्टान्त 2019 डीएनजे सुप्रिम कोर्ट पृष्ठ संख्या 131 प्रस्तुत किया था, जिसमें यह प्रतिपादित किया है कि नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुए इन्तकाल जैसी समरी प्रोसिडिंग्स को रोक देना चाहिए, किंतु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में उक्त दृष्टांत का हवाला तक नहीं दिया। रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत निर्णय दिनांक 29.08.2019 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर वर्षों से अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है, ऐसी स्थिति में अपीलांट के पक्ष में जो नामांतरकरण तस्दीक किया गया था, उसे यथावत रखना चाहिए था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावे एवं नामांतरकरण संख्या 896 दिनांक 25.01.2011 को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय तक यथावत रखा जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण संख्या 896 दिनांक 25.01.2011 को निरस्त कर मृतक व्यक्ति के नाम ही राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रहने की आज्ञा देने में त्रुटि की है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य विद्यमान था कि पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के सम्बन्ध मे नियमित वाद चल रहा है, जो वर्तमान मे माननीय उच्च न्यायालय मे विचाराधीन है तथा उसमे माननीय उच्च न्यायालय ने विवादित भूमि को हस्तान्तरित न करने के लिये स्थगन आदेश जारी कर रखा है। किंतु फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का नाम हटाने की आज्ञा दे दी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने माननीय उच्चतम न्यायालय का दृष्टान्त 2019 डीएनजे सुप्रिम कोर्ट पृष्ठ संख्या 131 प्रस्तुत किया था, जिसमें यह प्रतिपादित किया है कि नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुए इन्तकाल जैसी समरी प्रोसिडिंग्स को रोक देना चाहिए, किंतु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में उक्त दृष्टांत का हवाला तक नहीं दिया। नायब तहसीलदार दीगोद द्वारा नामांतरकरण संख्या 896 माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्र. 3 के निर्णय दिनांक 05.09.2008 एवं

रिपोर्ट पटवारी एवं जांच आईएलआर के मृतक मोडूलाल के खाते के स्थान पर गोद पुत्र परमानन्द उर्फ उच्छवलाल के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करने के आदेश दिनांक दिनांक 25.01.2011 पारित किया गया था। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गोदपुत्र नहीं माना गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावे एवं नामांतरकरण संख्या 896 दिनांक 25.01.2011 को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय तक यथावत रखे जाने का अनुरोध किया गया।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि विवादित नामा. सं. 896 दिनांक 25.01.2011 मा. न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम 3. कोटा के निर्णय दिनांक 05.09.2008 के आधार पर मृतक मोडू पुत्र घासी माली के अपीलांट को गोदपुत्र मानते हुए रेस्पो0 के स्थान पर गोदपुत्र परमानन्द उर्फ उच्छवलाल जाति माली नि. मण्डाना के नाम खोला गया था। मा. न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम 3. कोटा के निर्णय दिनांक 09.11.2013 से निर्णय व एक पक्षीय डिक्री दि. 05.09.2008 को अपास्त किया जाकर मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया गया तथा माननीय अपर जिला न्यायाधीश क्रम 3, कोटा के निर्णय दिनांक 29.08.2019 से वाद खारिज किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2019 न्यायोचित होना वर्णित करते हुए अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

6. हमने अपील पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि रेस्पो0 लोकेश सुमन द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार दीगोद द्वारा खोले गये नामा. संख्या 896 दिनांक 25.01.2011 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा के समक्ष भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बेन्च जयपुर द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 29.11.2019 पारित होने से अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तरकरण सं. 896 दिनांक 25.01.2011 निरस्त कर न्यायालय नायब तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया कि वह माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन अपील मे पारित निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही करे। प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क है कि नायब तहसीलदार दीगोद द्वारा नामांतरकरण संख्या 896 माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्र. 3 के निर्णय दिनांक 05.09. 2008 एवं रिपोर्ट पटवारी एवं जांच आईएलआर के मृतक मोडूलाल के खाते के स्थान पर गोद पुत्र परमानन्द उर्फ उच्छवलाल के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करने के आदेश दिनांक दिनांक 25.01. 2011 पारित किया गया था। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को गोदपुत्र नहीं माना गया है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य विद्यमान था कि पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के सम्बन्ध मे नियमित वाद चल रहा है, जो वर्तमान मे माननीय उच्च न्यायालय मे विचाराधीन है तथा उसमे माननीय उच्च न्यायालय ने विवादित भूमि को हस्तान्तरित न करने के लिये स्थगन आदेश जारी कर रखा है। किंतु फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का नाम हटाने की आज्ञा दे दी। इसके विपरित रेस्पो0 के तर्क है कि विवादित नामा. सं. 896 दिनांक 25.01.2011 मा. न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम 3. कोटा के निर्णय दिनांक 05.09.2008 के

8/1/2025

आधार पर मृतक मोडू पुत्र घासी माली के अपीलांट को गोदपुत्र मानते हुए रेस्पो0 के स्थान पर गोदपुत्र परमानन्द उर्फ उच्छवलाल जाति माली नि. मण्डाना के नाम खोला गया था। मा. न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम 3. कोटा के निर्णय दिनांक 09.11.2013 से निर्णय व एक पक्षीय डिक्री दि. 05.09.2008 को अपास्त किया जाकर मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया गया। माननीय अपर जिला न्यायाधीश क्रम 3, कोटा के निर्णय दिनांक 29.08.2019 से वाद खारिज किया गया है।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में यह स्पष्ट किया गया है कि विवादित नामांतरकरण संख्या 896 दिनांक 25.01.2011 माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्र. 3 कोटा के निर्णय दिनांक 05.09.2008 के आधार पर मृतक मोडू पुत्र घासी जाति माली के अपीलांट परमानन्द उच्छवलाल को गोदपुत्र मानते हुए खोला गया था तथा इसके पश्चात् माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्र. 3 कोटा के निर्णय दिनांक 09.11.2013 से निर्णय एवं एक पक्षीय डिक्री दिनांक 05.09.2008 को अपास्त किया जाकर मूल वाद को पुनः नम्बर पर लेते हुए निर्णय दिनांक 29.08.2019 से परमानन्द उर्फ उच्छवलाल द्वारा दायर वाद खारिज किया गया है। साथ ही परमानन्द उर्फ उच्छवलाल को मृतक मोडू का गोदपुत्र मानने व भूमि उक्तानुसार परमानन्द उर्फ उच्छवलाल के हक में दर्ज करने को आदेश के अपास्त होने से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच जयपुर के स्थगन आदेश दिनांक 29.11.2019 से अपील आंशिक स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 896 दिनांक 25.01.2011 निरस्त किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन अपील में पारित निर्णानुसार अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय दिनांक 13.12.2019 पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2019 उचित प्रकट होता है। वादग्रस्त नामांतरकरण संख्या 896 दिनांक 25.01.2011 गोदपुत्र के आधार पर खोला गया था। माननीय अपर जिला न्यायाधीश क्र. 3 में निर्णय दिनांक 29.08.2019 से वाद खारिज होने पर अपीलांट परमानन्द उर्फ उच्छवलाल को गोदपुत्र मानने व भूमि अपीलांट के हक में दर्ज करने का आदेश भी समाप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा (प्रथम अपीलीय न्यायालय) का निर्णय दिनांक 13.12.2019 न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं। प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय राज0 पीठ जयपुर में विचाराधीन अपील के निर्णय अनुसार अग्रिम कार्यवाही संपादित हो।

8. निर्णय आज दिनांक 08.01.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

8/1/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा